रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122022-241182 CG-DL-E-17122022-241182

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5649] No. 5649] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2022/अग्रहायण 25, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16 2022/AGRAHAYANA 25, 1944

### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

## (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5885(अ).—केंद्रीय सरकार, सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 17 (2) (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा दिनांक 4 अगस्त 2022 की संसंख्यक अधिसूचना में राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रोद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड में क्रम संख्या (च), (छ), (ज) और (झ) पर निम्न विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में सम्मिलित करती है।

- (च) डॉ. अनुज सिंघल, सामाजिक वैज्ञानिक;
- (छ) डॉ. संगीता शर्मा, महिला कल्याण संगठन के प्रतिनिधि;
- (ज) डॉ. सिप्रा बागची, सिविल सोसाइटी की प्रतिनिधि जो महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चों के मुद्दों पर कार्य कर रही हैं; और
- (झ) डॉ. बीजू पिल्लै, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि महिलाओं के स्वास्थ्य और बाल मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं।

[फा. सं. यू.11019/131/2022-एचआर]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

8417 GI/2022 (1)

### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

#### (Department of Health Research)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th December, 2022

- **S.O. 5885(E).**—In exercise of the power conferred by Section 17 (2) (f) of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, the Central Government hereby includes the following Experts as Members of the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board at serial numbers (f), (g), (h)and (i) in notification of even no. dated 4<sup>th</sup> August, 2022:-
  - (f) Dr. Anuj Singhal, Social Scientist;
  - (g) Dr. Sangeeta Sharma, Representative of Women Welfare Organization;
  - (h) Dr Sipra Bagchi, Representative from Civil Society working on Women's health and child issues; and
  - (i) Dr. Biju Pillai, Representative from Civil Society working on Women's health and child issues.

[F. No. U.11019/131/2022-HR]

GEETA NARAYAN, Jt. Secy.